देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्ध्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/49 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 1 दिसम्बर 2023

सी-स्कीम मे अवैध निर्माणों की बाढ़!!
जिम्मेदार गहरी नींद के आगोश मे!!

ना तो छोड़ रहे पार्किंग!!
और ना ही कर रहे सेटबेक नियमों की पालना!!
भू-उपयोग परिवर्तन तो दूर की बात!!
आवासीय भूखंडों पर ही हो रहा व्यावसायिक निर्माण!!

जेडीए के जोन-1 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या जे-32,बगड़िया भवन रोड,एफ-74 बगड़िया भवन रोड और एफ-10,बर्गर फार्म के सामने, सी-स्कीम पर बिना स्वीकृति के,बिना नक्शे पास करवाए,बिना पार्किंग व्यवस्था और बिना सेट बेक छोड़े हो रहा निर्माण!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

तबादलों के बाद लापरवाही की भेंट चढ़ा तंत्र

सील इमारतों की निगरानी बंद, सूची भी नहीं अपडेट

फॉलोअप

पत्रिका में प्रकाशित

जयपुर @ पत्रिका. जेडीए की प्रवर्तन शाखा में भारी भरकम स्टाफ है। लेकिन, इसके बाद भी सील इमारतों की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है। जो तंत्र पहले से चल रहा था, वो तबादलों के बाद लापरवाही की भेंट चढ़ गया। शहर में अभी 185 अवैध इमारतें सील हैं। इनकी निगरानी नहीं हो रही है। जेडीए की वेबसाइट पर जो अवैध इमारतों और बिल्डिंग की सूची है, वो भी जून से अपडेट नहीं है।

बेचान के बाद रहने लगे थे लोग

पिछले वर्ष उप नियंत्रक को सील इमारतों को निगरानी की जिम्मेदारी दी थी। निगरानी के दौरान कई जगह बिल्डर ने जेडीए की सील तोड़कर फ्लैट्स का बेचान कर दिया था और लोग रहने लगे थे।

गृह प्रवेश के बाद कुछ नहीं हुआ: जगतपुरा स्थित ऑरियंटल आर्केड कॉलोनी में पांच मंजिला इमारत में 18 फ्लैट बने थे। नवम्बर-दिसम्बर, 2022 में 17 परिवारों को अवैध रूप से गृह प्रवेश करा दिया। जेडीए ने निर्माणकर्ता के खिलाफ रामनगरिया थाने में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हाज्यावाला में जेडीए ने 30 मार्च, 2019 को एक इमारत सील की। बाद में निर्माणकर्ता ने अवैध इमारत की सील तोड़कर सात फ्लैटों में परिवार शिफ्ट करवा दिए।

शुक्रवार, 17 नवंबर, 2023

#citybuilding घर की बात होते-होते बन गया होटल, सील फ्लैट में रहने लगे लोग

निगरानी तंत्र फेल, खुल रही सील इमारतें

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

जिम्मेदारों की लापरवाही

धरोहर राशि जमा कराई, काम शुरू

निर्माण गलत मान काम रुकवाया, अब चल रहा होटल

कार्रवाई का आलम ये: एक फोन से वापस लौटा जेडीए का दस्ता, जिम्मेदार अधिकारियों के अलग-अलग बयान

प्रवर्तन शाखा में अफसरों की फौज, फिर भी अतिक्रमणकारियों की मौज

फॉलोअप

रातों रात बन गईं आठ अवैध दुकानें

ईओ आरपी सिंह से सवाल-जवाब

आदेश नहीं हुए

सर्वाधिक दस्ता, फिर भी फेल

सी-स्कीम मे अवैध निर्माणों की बाढ़!!जिम्मेदार गहरी नींद के आगोश मे!!

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते अवैध निर्माणों मे कमी आई है और जयपुर के बिल्डर अब जेडीए से स्वीकृति और नक्शे पास करवाने के बाद ही बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे है|लेकिन बिल्डरों की मनमानी के सामने शायद यह जेडीए के कर्ता-धर्ताओ की खुशफहमी साबित हो रही है|आपको बता दें कि विगत 5 सालों मे जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा सैंकड़ों अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाये गए है,लेकिन इसके बावजूद जेडीए के बाहरी इलाकों के साथ पॉश कॉलोनियों जैसे सी-स्कीम,मालवीय नगर आदि मे इन अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आई हुई है|

चुनावी साल ने इन अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों को और हवा दी है और लगता है आचार संहिता के चलते इन अवैध निर्माणों पर नकेल कसने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है|इसी का परिणाम है कि JDA के जोन-1 मे आने वाली सी स्कीम मे भी मानो अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है,इन अवैध निर्माणों के खेल मे कोई पीछे नहीं नजर आ रहा है और हर तरह का अवैध निर्माण पूरे जोरों पर है वो चाहे अवैध होटल हो या फिर रुफ टॉप या फिर अवैध बिल्डिंग|

पहले की फोटो

वर्तमान मे हो रहा निर्माण

आवासीय भूखंड संख्या जे-32 बगड़िया भवन,सी-स्कीम पर बिना अनुमति,बिना सेटबेक और पार्किंग सुविधा के हो रहा बिल्डिंग/होटल का निर्माण|

आपको बता दे कि आवासीय भूखंड संख्या जे-32 बगड़िया भवन,सी-स्कीम पर शहर की प्रतिष्ठित गणगौर स्वीट्स का संचालन किया जा रहा है|लेकिन अब इसके एक भाग पर बिना अनुमति,बिना सेटबेक और पार्किंग सुविधा के हो रहा बिल्डिंग/होटल का निर्माण किया जा रहा है|

आवासीय भूखंड संख्या एफ-74, बगड़िया भवन,सी-स्कीम पर बिना अनुमति अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण कर,रुफ टॉप रेस्टोरेंट का निर्माण|

आपको बता दे कि आवासीय भूखंड संख्या एफ-74,बगड़िया भवन,सी-स्कीम के ग्राउन्ड फ्लोर पर शहर के प्रतिष्ठित पपाया शेक का संचालन किया जा रहा है|लेकिन अब इस बिल्डिंग की छत पर बिना अनुमति,एक फ्लोर डाल कर,रुफ टॉप रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा है| इसके लिए बाकायदा बाहर की तरफ लिफ्ट भी लगाई जा रही है|

पहले की फोटो

वर्तमान मे हो रहा निर्माण

आवासीय भूखंड संख्या एफ-10 , सी-स्कीम,बर्गर फार्म के सामने, पर बिना अनुमति,बिना अनुमति,बिना सेटबेक और पार्किंग सुविधा के हो रहा बिल्डिंग/होटल का निर्माण|

आपको बता दे कि आवासीय भूखंड संख्या एफ-10,सी-स्कीम,बर्गर फार्म के सामने बिना अनुमति,बिना सेटबेक और पार्किंग सुविधा के हो रहा बिल्डिंग/होटल का निर्माण किया जा रहा है|

क्या जेडीए करेगा इन तीनों बिल्डिंगों को जारी भवन निर्माण स्वीकृति की जांच?

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते जयपुर के बिल्डर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही कॉलोनियों का निर्माण कर रहे है|लेकिन इसके बावजूद बिल्डर उनको जारी की गयी भवन निर्माण स्वीकृति की शर्तों के विपरीत जाकर मौके पर स्वीकृत नक्शों का बोर्ड नहीं लगाकर,आवासीय पर व्यवसायिक निर्माण कर,अतिरिक्त तल का निर्माण,अतिरिक्त निवास इकाई बनाने,पार्किंग सुविधा नहीं छोड़ने,सेटबेक वॉयलेशन,फायर/सोलर/वर्षा जल पुनर्भरण इकाइयों की स्थापना नहीं करने जैसे विधि विरुद्ध कार्य कर रहे है,जिनके विरुद्ध भवन निर्माण स्वीकृति निरस्त करने जैसे कड़े प्रावधान है| देखना यह है कि आवासीय भूखंड संख्या जे-32,बगड़िया भवन रोड,एफ-74 बगड़िया भवन रोड और एफ-10 सी-स्कीम,बर्गर फार्म के सामने, पर बिना स्वीकृति के,बिना नक्शे पास करवाए,बिना पार्किंग व्यवस्था और बिना सेट बेक छोड़े बन रही इन तीनों बिल्डिंगों की जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जांच करवाई,जाकर कार्यवाही की जाती है या नहीं?